153

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 441–दो/06 विरूद्ध आदेश, दिनाक 20–12–2005 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण कमांक 210/अ/6/01–02.

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम पवई, तहसील पवई जिला पन्ना .....आवेदक

विरूद्ध

लखन पुत्र मनुवा नाई, निवासी ग्राम तालगांव
हाल निवासी टेढीधार, तहसील पवई जिला पन्ना
.....अनावेदक

श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21-12-2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 210/अ/6/01–02 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2005 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक लखन पिता मनुवा नाई के द्वारा तहसीलदार पवई के प्रकरण कमांक 6/अ/6/98–99 आदेश दिनांक 21–6–99 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी पवई के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 21–11–2001 के द्वारा तहसीलदार पवई का आदेश दिनांक 21–6–99 निरस्त करते हुये प्रकरण निर्देशों के साथ कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा

द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–12–2005 द्वारा आवेदक की अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही उपरांत नामांतरण किए जाने के आदेश दिए गए हैं । अनावेदक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था । अनावेदक की साक्ष्य की कमी को पूरा करने के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना विधिसम्मत नहीं है ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार के पश्चात यह माया है कि विचारण न्यायालय ने अनावेदक को साक्ष्य का अवसर दिए तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है । उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदक द्वारानामांतरण आवेदन देर से प्रस्तुत किया गया है वहीं दूसरी ओर विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख धोखाधड़ी से निष्पादित कराया जाना कहा जा रहा है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश जिन बिंदुओं पर जांच कर निर्णय हेतु प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया है वे उचित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर